यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभागीय वना धकारी पथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी पथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़ के माह 04/2016 से माह 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान व.सम्प्रेक्षक एव श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गो वन्द कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 18.01.2018 तक श्री हिमांशु म ण लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा अशोक कुमार मीणा, ले.प. एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों तथा श्री वजय कुमार वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2017 से 09.03.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः - वनों के संरक्षण सम्बन्धी कार्य एवं समस्त पथौरागढ़ जनपद

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	206.47
2015-16	218.12
2016-17	992.51
2017-18	199.08

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य		बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)		स्थापना (`)	गैरस्थापना (`)
2014-15	-	-	651.99	651.99	365.70	365.70			
2015-16	-	-	588.51	588.51	182.24	182.24			
2016-17	-	-	643.06	643.06	929.82	929.82			
2017-18	-	-	-	-	1253.38	264.97			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः (रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2016-17		शून्य		

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)- वन संरक्षक (संबं धत क्षेत्र)- प्रभागीय वना धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभागीय वना धकारी पथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभागीय वना धकारी पथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 07/2016 एवं 12/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया ।

व्यय की जांच हेतु 03/2017 एवं 11/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------ ....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित

भाग-02 ब

प्रस्तर-01 वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹21.19 लाख की अनुग्रह रा श का भुगतान न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण वभाग की अ धसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वतरण नि ध नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आ र्थक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह रा श प्रदान कए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित कए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।

नियमावली की मूल भावना यह थी क वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह रा श का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कया जाना चाहिए ता क मनुष्य का वन वभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, पथौरागढ़ वन प्रभाग, पथौरागढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वतरण नि ध के अ भलेखों (वर्ष 2016-17) की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत मृत व्यक्ति के 02 प्रकरणों में ₹6.00लाख,घायल व्यक्ति के 54 प्रकरणों में ₹7.83 लाख तथा मृत मवेशी के 490 प्रकरणो में ₹46.82लाखका भुगतान कया जाना अपे क्षत था, जो क प्रभाग द्वारा नहीं कया गया। जब क प्रभाग के पास मार्च 2017 के अन्त में बैंक पासबुक के अनुसार ₹2119225 अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अनुग्रह रा श का भुगतान कर दिया जाएगा। अतः जांच कार्यवाही शीघ्रकरके भुगतान कर लेखपरीक्षा को सू चत कया जाना अपे क्षत रहेगा ता क नियमवाली का मूल उद्देश्य पूरा हो सके।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर-2 सक्षम प्रा धकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना **₹71.38**लाख।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न कया जाए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।
कार्यालय प्रभा गए वन धकारी, पथौरागढ़ वन प्रभाग, पथौरागढ़ के वर्ष2016-17 के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लए सक्षम अ धकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹7138200 की लागत के 10 निर्माण/मरम्मत कार्यो को बिना सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ (जनवरी 2018) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्रा धकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क कार्यों की स्वीकृति के लए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अ धकारियों को प्रे षत की गयी है तथा प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को प्रे षत कर दी जाएगी।

अतः सक्षम प्रा धकारी द्वारा ₹7138200 की स्वीकृति प्राप्त कए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनरा श
1.	धारचूला रेंज के अन्तर्गत सुमदुंग गमपाँगा तोक गम के 10 हैकटैर में वनीकरण अ ग्रम म्रदा कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति तथा वनीकरण कार्य	727600
2.	न्यूमैला 10 हैकटैर में वनीकरण कार्य	727600
3.	यालदांग प्रथम 10 हैकटैर में वनीकरण कार्य	727600
4.	जयकोट तोक दुर्गा मंडप 10 हैकटैर में वनीकरण कार्य	727600
5.	जयकोट प्रथम 10 हैकटैर में वनीकरण कार्य	683900
6.	यालदांग व॰प॰ 10 हैकटैर में व्रक्षारोपण कार्य	680000
7.	जयकोट द् वतिए 10 हैकटैर में व्रक्षारोपण कार्य	692300
8.	धारचूला रेंज के दुर्ग-06 के 10 हैकटैर में व्रेक्षारोपण कार्य	683900
9.	व॰प॰ रमतोली 10 हैकटैर में व्रक्षारोपण कार्य	687700
10.	धारचूला रेंज कार्यालय परिसर में टाइप-I भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति	800000
योग		**7138200**

भाग-2 ब

प्रस्तर 3: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 1.43 लाख।

वभाग मेंप्रच लत कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभाग के अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभा वत क्षेत्र के <u>प्रथम वर्ष</u> उपचार तथा उन्मूलन हेतु 20 हेक्टेयर, का चयन कया गया था जिस पर ₹ 1.43 लाख का व्यय कया गया है। इन क्षेत्रों के द् वतीय वर्षउ पचार हेतु कोई व्यय कया हुआ नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर कये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभा वत करेगा। अतः,प्रभागद्वारावर्ष 2015-16 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द् वतीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 1.43 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर प्रभागीयवना धकारी ने अवगत कराया क बजट उक्त मद में प्राप्त नहीं हुआ था तथा द् वतिए एव तृतिय वर्ष में उपचार क आवश्यकता नहीं थी।

प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पूरे विभाग में प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी विशेष स्थान पर प्रथम वर्ष में किए गए लेंटना उन्मूलन की सफलता हेतु द्वितिए एव तृतिय वर्ष में उन्मूलन किया जाना आवश्यक है।

अत:,₹ 1.43लाखकेनिष्फल व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर- 1 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹ 0.51 लाख

कार्यालय प्रभा गए वना धकारी, पथोरगढ़ वन प्रभाग, पथोरगढ़ के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया क निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष धनरा श
1.	गीता पांडे	मुख्य प्रशासनिक अ धकारी	2000	0	2000
2.	श्रीमती सुखपती बोनाल	प्रधान सहायक	2000	1000	1000
3.	श्री कुंडल संह भण्डारी	कनिष्क सहायक	500	0	500
4.	श्री राजेंद्र संह बिष्ट	व॰क्षे॰अ॰	20000	0	20000
5.	श्री महेश चन्द्र संह मर्तो लया	वन दरोगा	10000	0	10000
6.	श्री भगत संह	वन दरोगा	10000	4000	6000
7.	श्री राजेंद्र संह बोरा	वन दरोगा	10000	5000	5000
8.	श्री मोहन चन्द्र जोशी	वन दरोगा	10000	4000	6000
9.	श्री पूरन चन्द्र भट्ट	वन दरोगा	10000	4000	6000
10.	श्री जगदीश राम	चौकीदार	200	0	200

11.	श्री भूपाल संह देउपा	चौकीदार	200	०	200
12.	श्री बहादुर संह राना	अर्दली	200	0	200
13.	धनानन्द	अर्दली	200	0	200
योग					**₹ 57300**

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जमानत जमा की धनरा श जमा कराने की कार्यवाही का आस्वासन दिया गया है।

अतः वभाग द्वारा कार्यवाही कर सू चत कए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
33/2013-14	-	01
18/2015-16	-	01,02,03,04
24/2016-17	01	01,02,03

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
33/2013-14	-	01
18/2015-16	-	01,02
24/2016-17	01	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभागीय वना धकारी पथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आई.पी.सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री विनय कुमार भारति	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय प्रभागीय वना धकारी पथौरागढ़ वन प्रभाग पथौरागढ़ को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी